

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4 (ई) (स्पे.-23/92)/अलेसे-III/9549-50

दिनांक :- 30-9-13

कोषाधिकारी,
प्रतापगढ़।

विषय :- श्री धीर सिंह रेगर, कनिष्ठ लेखाकार का निलंबन से बहाली के पश्चात् वेतन निर्धारण बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि, श्री श्री धीर सिंह रेगर, कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक 1713-17 दिनांक 28.05.2003 द्वारा अपराध संख्या 139/03 में तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया गया था। शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 20.01.2012 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में श्री धीर सिंह रेगर को माननीय न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय जांच के निर्णय के अध्वधीन निलंबन से बहाल करते हुए विभागीय आदेश संख्या 24/2012-13 दिनांक 26.04.2012 से कोषालय, प्रतापगढ़ में पदस्थापित किया गया। श्री रेगर द्वारा कोषालय, प्रतापगढ़ में दिनांक 10.05.2012 को कार्यग्रहण किया गया।

अतः श्री धीर सिंह रेगर, कनिष्ठ लेखाकार का निलंबन से बहाली के पश्चात् राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में इनकी निलंबन तिथि 28.05.2003 से पूर्व प्राप्त मूल वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण किया जावे। श्री रेगर को चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ फिलहाल देय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।


(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक :- एफ.4 (ई) (स्पे.-23/92)/अलेसे-III/9549-50

दिनांक :- 30-9-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. श्री धीर सिंह रेगर, कनिष्ठ लेखाकार, कोषालय, प्रतापगढ़।

2. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)। लिंक नं. - 3681

3. निजी/रक्षित पत्रावली।

